राजस्थान सरकार

स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक :एफ 10 (न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/24/7571 दिनांक 26/03/2025

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2)एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क)(i) एवं उप–धारा(8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानकों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार ग्रांम पंचायत सेमारी जिला सलूम्बर के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमाक प.10 (न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)/डीएलबी/23/1886 दिनांक 05.07.2022 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया था, साथ ही विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दिनांक 01.06.2021 के अन्तर्गत ग्रांम पंचायत सेमारी के निर्वाचित सरपंच/उपसरपंच को क्रमशः अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष एवं वार्ड पंचों को वार्ड सदस्य समझा जाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांकप.10 (न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)/डीएलबी/23/1886 दिनांक 05.07.2022 को प्रशासनिक कारणों से एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है। नगरपालिका सेमारी (जिला सलूम्बर) के क्षेत्र में सम्मिलित ग्रांम पंचायतें एवं राजस्व ग्रांम पूर्ववत पंचायत का भाग रहेगें तथा ग्रांम पंचायत सेमारी यथावत कार्यरत रहेगी ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक :एफ

क्रमांक :एफ 10 (न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी / 24 / 7572-76 दिनांक: 26/03 / 2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री,कार्यालय राज. जयपुर ।
01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत शासन विभाग,राज.जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत शासन विभाग,राज.जयपुर।
04. संभागीय आयुक्त , उदयपुर राजस्थान ।
05. आयुक्त / निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग, राज. जयपुर को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
06. जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सलूम्बर ।
07. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर ।
08. निदेशक / अधीक्षक,राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज.राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशनार्थ ।
09. समस्त अधिकारीगण निदेशालय /उपनिदेशक क्षेत्रीय.उदयपुर राजस्थान ।
10. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सेमारी ।
11. जनसम्पर्क अधिकारी / प्रोग्रामर निदेशालय ।
12. सुरक्षित पत्रावली ।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Scanned with OKEN Scanner